भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 71

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/ 29 आषाढ़, 1948 (शक)

ग्रामीण श्रमिकों के लिए कल्याण संबंधी उपाय

†**71. श्री खलीलुर रहमान:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से नए विनियम लागू करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास वार्षिक रूप से ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपलब्ध कार्य दिवसों की औसत संख्या का डेटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा वर्तमान में ग्रामीण श्रमिकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं और लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए ब्लॉक स्तरों पर श्रम न्यायाधिकरण जैसे निगरानी तंत्र की स्थापना पर विचार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): पूर्ववर्ती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) जो दिनांक 30.06.2026 तक लागू रही, के अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल शारीरिक कार्य की मांग करने वाले वयस्क सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। दिनांक 01.07.2026 से, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी) अधिनियम, 2025 लागू हो गया है, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का स्थान ले लिया है। नई योजना अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पात्र ग्रामीण परिवारों को एक सौ पच्चीस दिनों के गारंटीकृत मजदूरी के रोजगार का प्रावधान करती है।

पूर्ववर्ती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रति परिवार उपलब्ध कराए गए रोजगार के औसत दिनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

जारी/-

वित्तीय वर्ष	प्रति परिवार प्रदान किए गए रोजगार के औसत दिन
2023-24	52.08
2024-25	50.24
2025-26	43.20

एनआरईजीएएससॉफ्ट के अनुसार

वीबी जी आरएएम जी के अधीन वीबी जी आरएएम जी, 2025 की अनुसूची ॥ में वर्णित किए गए अनुसार कामगारों के लिए कार्य स्थल पर निम्नलिखित कल्याणकारी उपाय निर्धारित किए गए हैं:-

i. कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छायायुक्त स्थान, विश्राम की व्यवस्था तथा निष्पादित किए जा रहे कार्य के दौरान होने वाली मामूली चोटों एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी दुर्घटनाओं में आपात स्थितियों के उपचार हेतु पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक उपचार पेटिका (फर्स्ट-एड बॉक्स) की व्यवस्था की जाएगी।

ii. यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ आने वाले पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या पाँच या उससे अधिक हो, तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए उन महिला कामगारों में से किसी एक को इस कार्य हेतु नियोजित किया जाएगा। इस प्रकार नियोजित महिला कामगार को नियत मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

iii. यदि इस योजना के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को उसके नियोजन के दौरान तथा उससे उत्पन्न किसी दुर्घटना के कारण कोई शारीरिक चोट पहुँचती है, तो वह आवश्यकतानुसार निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा।

iv. जहाँ घायल कामगार को अस्पताल में भर्ती कराना आवश्यक हो, वहाँ राज्य सरकार द्वारा उसके अस्पताल में भर्ती होने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें आवास, उपचार, औषधियाँ तथा दैनिक भत्ते का भुगतान सम्मिलित होगा, उक्त दैनिक भत्ता निर्धारित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा।

v. यदि योजना के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की उसके नियोजन के दौरान तथा उससे उत्पन्न किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है, तो यथास्थिति, उसे अथवा उसके वैध उत्तराधिकारियों को, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।

vi. यदि योजना के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति के साथ आए किसी बच्चे को दुर्घटना के कारण कोई व्यक्तिगत चोट लगती है तो ऐसा व्यक्ति निशुल्क चिकित्सा उपचार के लिए पात्र होगा तथा उक्त दुर्घटना के कारण बच्चे की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, कानूनी अभिभावकों को राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।
